न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 07/2015 (राजसमन्द आर्डर)

1. श्रीमती सरस कुंवर पत्नी श्री जवाहरसिंह जी राजपूत निवासी कल्लाखेड़ी खारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज0)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री भगवतसिंह पिता श्री जवाहरसिंह जी राजपूत निवासी कल्लाखेड़ी खारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज0)
2. श्री प्रेमसिंह पिता श्री जवाहरसिंह जी राजपूत निवासी कल्लाखेड़ी खारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज0)
3. श्रीमती केसर कुंवर पिता श्री जवाहरसिंह जी पत्नी भंवरसिंह जी राजपूत निवासी कल्लाखेड़ी खारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द हाल झाड़ोल तहसील झाड़ोल जिला उदयपुर (राज0)
4. श्रीमती साहेन कुंवर पिता श्री जवाहरसिंह जी पत्नी भंवरसिंह जी राजपूत निवासी कल्लाखेड़ी खारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द हाल झाड़ोल तहसील झाड़ोल जिला उदयपुर (राज0)
5. श्री मोहनसिंह पिता नाहरसिंह चौहान राजपूत निवासी कल्लाखेड़ी खारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज0)
6. श्री निर्भयसिंह पिता नाहर सिंह चौहार राजपूत निवासी कल्लाखेड़ी खारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज0)
7. श्रीमती प्रेमकुंवर पत्नी नाहरसिंह राजपूत निवासी कल्लाखेड़ी खारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज0)
8. श्री श्यामलाल पिता रामरतन जी माहेश्वरी (काबरा) निवासी लालबाग नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज0)
9. उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयक कार्यालय नाथद्वारा
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नाथद्वारा

..... रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) नाथद्वारा दिनांक 21–4–2015
प्रकरण संख्या 83/2011 प्रार्थना पत्र

———

उपस्थित :–1– श्री सम्पतलाल बोहरा अभिभाषक अपीलान्ट
2– राजकीय अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या–10

——————/——————

निर्णय **दिनांक 10–04–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादिया द्वारा पकमवादह रंस्पान्डेन्ट के विरूद्ध धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजीयात ग्राम कल्लाखेड़ी की कूल किता–3 रकबा 6 बीघा भूमि जो कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या–2 में वर्णित है, यह भूमियां मोरूष जवाहरसिंह के समय की है तथा जवाहरसिंह की मृत्यु के बाद यह भूमियां उसके 3 पुत्रों भगवतसिंह, प्रेमसिंह व नाहरसिंह के नाम ही दर्ज हुई तथा जवाहरसिंह की बेवा प्रार्थिया अपीलान्ट तथा उसकी पुत्रियां विपक्षी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 व 4 को वंचित कर दिया गया तथा जवाहरसिंह के पुत्रों द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप से भूमियों को प्रार्थिया व उसकी पुत्रियों को वंचित करते हुए विपक्षी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 को विक्रय कर दिया गया। प्रार्थिया का 1/6 हिस्सा व कब्जा है। अतएव उसे विपक्षी के विरूद्ध कब्जे को डिस्टर्ब नहीं करने तथा विवादित आराजीयात को हस्तान्तरित नहीं करने की अस्थाई निषेधाज्ञा दिलवाई जाय।

उपरोक्त आवेदन पर विपक्षी संख्या 8 द्वारा खण्डन का जवाब पेश कर निवेदन किया कि वर्ष 1978 में ही जवाहरसिंह जी की मृत्यु हो गई थी। उसके द्वारा रेकार्डेड खातेदार से भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। वह सदभावी क्रेता है। प्रार्थीगण का कोई हक अधिकार नहीं है। विपक्षी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 व 4 द्वारा प्रार्थना पत्र का सहमति का जवाब देकर

अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए काउण्टर क्लेम भी वादिया के आवेदनानुसार पेश किया जिसका खण्डन विपक्षी संख्या–8 द्वारा किया गया।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 21–4–2015 से प्रार्थिया अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट प्रार्थिया द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 21–6–2015 को पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 व 10 ने की और से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस राजकीय अधिवक्ता द्वारा गुणावगुण आधार पर निर्णय किये जाने की प्रार्थना की, वहीं वकील अपीलान्ट ने अपील स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की प्रार्थना की।

प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा लिए गये प्रमुख अपील उजर यह है कि विवादित जायदाद अपीलान्ट के पति की होने का प्रमाणन होने तथा प्रार्थिया अपीलान्ट का हिस्सा विधिक रूप से होने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप से कयासी आधारों पर प्रार्थिया अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने प्रकरण में समस्त तथ्यों का विवेचन करने के बाद निम्नानुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण में अंकन किया है :–

"जमाबन्दी सम्वत् 2031 की छाया प्रति के अवलोकन से वादग्रस्त कृषि भूमियां जवाहरसिंह पिता दलेसिंह के नाम दर्ज होना प्रकट होता है। पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय पत्र की छाया प्रति के अवलोकन से विपक्षी संख्या 8 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमियां खातेदार नाहरसिंह, भगवतसिंह, प्रेमसिंह पिता जवाहर सिंह से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय करना प्रकट होता है। उक्त विक्रय पत्र दिनांक 25–2–2000 एवं 3–3–2000 को पंजीकृत किये गये है। प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 3 व 4 वादग्रस्त कृषि भूमियां पैतृक सम्पति में अपने हक हिस्से की घोषणा कराने की अधिकारी है

या नहीं यह मूल वाद में तय किया जावेगा। विपक्षी संख्या 8 वादग्रस्त भूमि का सद्भावी क्रेता है तथा वह खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है तथा खातेदार के विरू0 प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 3 व 4 किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की प्रथम दृष्टया अधिकारी साबित नहीं होती है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 3 व 4 के पक्ष में साबित नहीं होता है"।

अधिनस्थ न्यायालय का उक्त अपीलाधीन निर्णय प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण है यह स्वीकृत स्थिति है कि भूमियां जवाहरसिंह के समय की होकर जवाहरसिंह की मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के बाद हुई है एवं तद्नुसार विरासत पुत्रों के साथ पत्नी व व पुत्रियों को भी मिलनी चाहिए। इस प्रकरण में प्रार्थिया का प्रथम दृष्टया स्वत्व प्रतीत होता है तथा कब्जे बाबत् निर्णायक रूप से इस स्तर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थिया का प्रथम दृष्टया स्वत्व होने के बावजूद प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं मानना त्रुटिपूर्ण है।

अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर प्राथ्रिया का प्रथम दृष्टया प्रकरण इस हद तक पाया जाता है कि विपक्षी रेस्पोन्डेन्ट विवादित आराजीयात की मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक बनाये रखे ताकि प्रकरण में अनावश्क विधिक पैचिंदगिया व मुकदमें बाजी नहीं बढ़े। इसी हद तक सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त अपीलान्ट प्रार्थिया के पक्ष में रहते है।

अतः अपीलन अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21–4–2015 अपास्त किया जाकर विपक्षीगण रेस्पोन्डेन्ट को मूलवाद के निस्तारण तक मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति (वाद दायरी डिक्री की) कायम रखनपे को पाबन्द किया जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 10–04–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर